कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–महाराजगंज

पत्रांक : मु.चि.अ./तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ/2020–2021/2708-14 दिनांक 10/06/2020

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–महराजगंज।
2. जिला क्षय रोग अधिकारी, जनपद–महराजगंज।
3. जिला कुष्ठ अधिकारी, जनपद–महराजगंज।
4. समस्त अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद–महराजगंज।
5. समस्त नोडल अधिकारी, जनपद–महराजगंज।
6. जिला मलेरिया अधिकारी, जनपद–महराजगंज।
7. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र, जनपद–महराजगंज।

विषयः–सार्वजनिक स्थानों पर पान मसााला/तम्बाकू/अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबंधित एवं आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/8375 लखनऊ दिनांक 13.4.2020 एवं पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/8365 लखनऊ दिनांक 18.3.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वाइरस (कोविड–19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे विश्वव्यापी महामारी को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुए हेल्पलाइन नम्बर–18001805145 भी जारी किये गये हैं।

प्रदेश में लगभग 29.4 प्रतिशत लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का किसी न किसी रूप से सेवन करते हैं जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान–मसाला का सेवन कर इधर–उधर थूकने से कोरोना वाइरस (कोविड–19) को फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री द्वारा बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः कोरोना वाइरस (कोविड–19) महामारी के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, पान–मसाला खाकर इधर–उधर तथा खुली सिगरेट की बिक्री एवं हुक्का के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर कोटपा–2003 के नियमों/उपनियमों अर्न्तगत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

10/6/2020

मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज।

पत्रांक : मु.चि.अ./तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ/2020–21/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–महाराजगंज को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद–महाराजगंज।
5. पुलिस अधीक्षक जनपद–महाराजगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. अधिशासी निदेशक यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।
7. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जनपद–महराजगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कृपया उपरोक्त के संबंध में आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, डी0पी0एम0यू0, जनपद–महराजगंज।

मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज।